-: कार्यालय कलेक्टर जिला – खंडवा (म0प्र0) :-

क्रमांक–क/वित्त/2017/ खंडवा, दिनांक /08/2017

प्रति

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
म0प्र0 शासन,
जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा,
भोपाल.

SPEED POST

विषय :– निष्प्रयोजित कार्यालयीन शासकीय वाहन एम.पी.–02–आर.डी.–1209 (महिन्द्रा जीप)के नीलामी (खुली नीलामी) हेतु विज्ञप्ति प्रसारण बाबद् ।

--00--

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि जिला कार्यालय खंडवा की निष्प्रयोजित कार्यालयीन शासकीय वाहन एम.पी.–02–आर.डी.–1209 (महिन्द्रा जीप) के विक्रय हेतु संलग्न वाहन नीलामी (खुली नीलामी) विज्ञप्ति का प्रकाशन निशुल्क स्थानीय दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :– सहपत्र चार निविदा
विज्ञप्ति ।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जिला – खंडवा म0प्र0

पृ0क्रं0–क/वित्त/2017/1159
खंडवा, दिनांक 08/08/17

प्रतिलिपि :–

1– अनुविभागीय अधिकारी पंधाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित ।

2– तहसीलदार पंधाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित ।

3– सहायक संचालक, जनसम्पर्क, खंडवा की ओर विस्तृत निविदा की प्रति सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित ।

4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी खंडवा/प्रबंधक जिला "ई गर्वन्स सोसायटी खंडवा की ओर विस्तृत निविदा विज्ञप्ति संलग्न की जाकर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति को कलेक्टर जिला – खंडवा की वेब साईड पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जिला – खंडवा म0प्र0

-: कार्यालय कलेक्टर जिला – खंडवा (म0प्र0) :-

क्रमांक–क/वित्त/2017/11486

खंडवा, दिनांक 08/8/2017

घोष विक्रय (खुली नीलामी) हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर कार्यालय खंडवा की निम्न निष्प्रयोजित **महिन्द्रा जीप MP-02-RD-1209 (महिन्द्रा जीप)** "जहाँ है जैसी है" की बिक्री हेतु खुली नीलामी (घोष विक्रय) दिनांक **24-08-2017** को अपरान्ह **3-00** बजे **तहसील कार्यालय पंधाना** में की जावेगी :-

स0क्र0	वाहन का पंजीयन क्र0	मेकर का नाम	निर्माण वर्ष	सरकारी बोली
1	एम.पी.–02–आर.डी.–1209 महिन्द्रा जीप	मे0 महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि0 मुम्बई	2007	**70000/-** (सत्तर हजार)

-: शर्तें :-

(1) वाहन **जहाँ जिस हालत में रखा/खड़ा हैं** उसी हालत में नीलाम किया जावेगा ।

(2) वाहन से संबंधित अभिलेख यथा आर.सी.बुक. एवं अन्य प्रदाय नही किये जावेगें ।

(3) वाहन का निरीक्षण **तहसीलदार पंधाना के कार्यालय** में कार्यालयीन समय में कर सकते है ।

(4) नीलामी में बोली लगाने के पूर्व वाहन हेतु रूपये 10000/– (दस हजार) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि तहसीलदार पंधाना के नाम से देय हो धरोहर की राशि नीलामी के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक **23-08-2017** को अपरान्ह **3-00** बजे तक नायब नाजीर तहसील कार्यलय पंधाना के पास जमा कराना अनिवार्य होगी ।

(5) नीलामी कार्यवाही के दौरान उच्चतम बोली जिस पक्षकार की प्राप्त होगी, उसको नीलामी मूल्य की 25% राशि तत्काल जमा कराना होगी, अगर कोई इसका पालन नही करता हैं तो उसकी जमा धरोहर राशि संबंधित विभाग के पक्ष मे राजसात हो जावेगी, तथा उसकी नीलामी निरस्त मान्य की जावेगी ।

(6) अंतिम बोली की पुष्टीकरण की सूचना के तीन दिवस के भीतर सफल बोलीदार को अतिशेष राशि जमा करना अनिवार्य होगी । यदि निर्धारित समय सीमा में अतिशेष राशि जमा कराने में असफल रहता हैं तो उसके द्वारा जमा कराई गई 25% राशि तथा अमानत राशि संबंधित विभाग के पक्ष मे राजसात की जायेगी तथा नीलामी निरस्त समझी जावेगी, एवं पुनः नीलामी में वाहन की कीमत कम आती हैं तो पक्षकार से ऐसी हानि/खर्च वसूली योग्य होगा ।

(7) नीलामी में भाग लेने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा, जिसके द्वारा आवश्यक धरोहर की राशि नीलामी के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक **23-08-2017** को अपरान्ह **3-00** बजे तक नायब नाजीर तहसील कार्यालय पंधाना के पास जमा कराई होगी, अन्य किसी व्यक्ति को बोली बोलने का अधिकार नही होगा। सभी नीलामी में भाग लेने वाले अधिकृत व्यक्तियों को निर्धारित नीलामी स्थान /दिनाक एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक हैं, किसी भी प्रकार का विलम्ब मान्य नहीं किया जावेगा ।

(8) किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर खंडवा का होगा, जो सर्वमान्य होगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी । आफसेट प्राईस से अधिक की बोली आने पर भी उक्त बोली को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं होगा, उक्त बोली अस्वीकार की जाकर, निलामी निरस्त भी की जा सकेगी ।

(9) आफसेट प्राईस से कम की बोली स्वीकर नहीं की जावेगी तथा नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति कम से कम 500/– से बोली राशि बढा सकेगें, इससे कम राशि की बढाई गई बोली स्वीकार नहीं होगी ।

(10) किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर खंडवा का निर्णय अंतिम होगा जो सर्वमान्य होगा ।

(11) उच्चतम दो बोली लगाने वालो को छोडकर अन्य बोली लगाने वालो की धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी ।

(12) वाहन अंतिम रूप से निराकरण होने के पश्चात पक्षकार स्वयं के व्यय पर वाहन उठायेगा तथा परिवहन विभाग के नियमो के अधीन सात दिवस में अपने पक्ष में पंजीयन करायेगा, एवं जिसकी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्यतः देगा इस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करेगा, शासन द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जावेगा ।

(13) सफल बोलीदार को वाहन प्राप्ति के समय अपना पहचान पत्र (Address Proof) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(अभिषेक सिंह)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा म0प्र0

पृ0क्र0–क/वित्त/2017/11487
खंडवा दिनांक 08/09/2017

प्रतिलिपि :–

1/ आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर ।
2/ समस्त कलेक्टर ---------------------म0प्र0 ।
3/ पुलीस अधीक्षक, खंडवा ।
4/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल ।
5/ अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खंडवा ।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6/ अनुविभागीय अधिकारी खंडवा/हरसूद/पुनासा/
7/ अनुविभागीय अधिकारी पंधाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7/ तहसीलदार खंडवा/हरसूद/पुनासा/ खालवा ।
8/ तहसीलदार पंधाना की ओर निविदा शर्तो की दस अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख हैं कि वाहन की नियमानुसार नीलमी/विक्रय की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पंधाना के माध्यम से की जाना सुनिश्चित करे ।
9/ आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ।
10/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत हरसूद/पंधाना/मूंदी/ओंकारेश्वर ।
11/ सहायक संचालक, जनसम्पर्क खंडवा को विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।
12/ प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा कलेक्टोरेट खंडवा ।
की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करे ।

कलेक्टर
जिला – खंडवा (म0प्र0)